न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

प्रार्थना पत्र रिव्यू सख्याः–456/17

1. मैसर्स जे.के.सीमेन्ट वर्क्स प्रा0लि0, कार्यालय कमला टॉवर, कानपूर जरिये निदेशक श्री कजोडमल जैन पुत्र श्री बजरंग लाल जैन निवासी जे.के. सीमेन्ट वर्क्स कैम्पस निम्बाहेडा, जिला चित्तौडगढ, राजस्थान।

––प्रार्थी/आपीलान्ट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार, नीमकाथाना, तहसील नीमकाथाना जिला सीकर, राजस्थान।
2. उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
3. नगर पालिका नीमकाथाना जरिये अधिशाषी अधिकारी या चैयरमेन नगर पालिका नीमकाथाना, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर, राजस्थान।

––रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 22.01.2018

अपीलार्थी द्वारा यह पुर्नरावलोकन प्रार्थना पत्र न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर के आदेश दिनांक 20.09.2017 (प्रकरण संख्या 98/17) से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि आज्ञा जैर रिव्यू न्यायालय श्रीमान् दिनांक 20.09.2017 परिलक्षित त्रुटिपूर्ण व कानून के सर्वमान्य सिद्धान्तों तथा वास्तविक तथ्यों के विपरित होने से रिव्यू करते हुए निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने कथन किया है कि प्रार्थी/अपीलान्ट ने मुख्य अपील के माध्यम से न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील के पैरा संख्या 10 में यह उल्लेख किया था कि स्वयं तहसीलदार नीमकाथाना ने अपनी रिपोर्ट में विवादित भूमि को मौके पर आबादी के उपयोग में नही आना माना था तो भूमि पर फसल काश्त होना बताया था तो राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र संख्या प.2(30)नविवि/3/2016/पार्ट/1516–30 दिनांक 25.04.2017 के क्लॉज–16 में धारा 90 बी (3) के अन्तर्गत आवेदित मामलों मे प्रतिवर्तन रिवर्सन बदलने बाबत अधिकार नियम 24 में परिवर्तित आबादी भूमि को पुनः कृषि भूमि दर्ज करने का क्षेत्राधिकार सम्बन्धित नगर पालिकाओं को दिया गया है, इस कारण भी प्रकरण नगर पालिका नीमकाथाना के अधिशाषी अधिकारी या चैयरमेन द्वारा कार्यवाही हेतु रिमाण्ड करना चाहिये था किन्तु न्यायालय श्रीमान् ने प्रार्थी अपीलान्ट की अपील संधारणीय नही मानते हुए खारिज करने मे गंभीर कानूनी भूल की है, इस कारण भी पूर्व निर्णय दिनांक 00.09.2017 न्यायालय श्रीमान् द्वारा रिव्यू करते हुए निरस्त फरमाया जाना कानूनी रूप से आवश्यक है।

अधिवक्ता प्रार्थी/अपीलान्ट ने कथन किया है कि न्यायालय श्रीमान् ने प्रकरण की मैरिटस गुणावगुण को पूर्व निर्णय में कतई नही देखा एवं केवल

P.T.O.

तकनिकी बिन्दु पर ही अपील खारिज कर दी जो एक प्रत्यक्ष परिलक्षित गंभीर कानूनी त्रुटि है, इस कारण भी रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण नगर पालिका को राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के परिपत्र अनुसार निर्णित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना आवश्यक है। उन्होने कथन किया है कि प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा उक्त रिव्यू प्रार्थना पत्र पूर्णतया कानूनी आधारों पर सारभूत कानूनी प्रावधानों की अनदेखी होने से प्रस्तुत किया जा रहा है जो विधिक होने से स्वीकार योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि मूल अपील में रेस्पोडेन्ट बाद सूचना एवं नोटिसों की तामिलों बावजूद न्यायालय श्रीमान् के समक्ष उपस्थित नही हुऐ थे एवं पूर्ण निर्णय दिनांक 20.09.2017 एकपक्षीय पारित किया गया है ऐसी स्थिति में रिव्यू प्रार्थना पत्र को सुने जाने व निर्णित किये जाने में कोई भी कानूनी बाधा नही है इसलिये प्रकरण को उचित कानूनी बिन्दुओं के आधार पर निर्णित फरमावे। अतः प्रार्थना पत्र रिव्यू स्वीकार फरमाया जाकर न्यायालय श्रीमान् द्वारा पारित मूल अपील संख्या 98/17 उनवानी जे.के. सीमेन्ट वर्क्स बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 20.09.17 निरस्त फरमाया जावे एवं प्रार्थी/अपीलान्ट का रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार नगर पालिका नीमकाथाना जिला सीकर को विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बरान 373 से 376, 380 से 383, 579 587 स्थित ग्राम आगवाडी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर जो कि आबादी भूमि में उपयोग नही आ रही है के बाबत पारित आज्ञा उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर दिनांक 09.03.2010 बाबत 90 बी संपरिवर्तन व नामान्तरकरण संख्या 442 दिनांक 10.03.2017 निरस्त फरमायी जावे एवं वादग्रस्त भूमि को पुनः कृषि भूमि दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा ना ही उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता प्रार्थी/अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन पर जाहिर होता है कि राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र संख्या प. 2(30)नविवि/3/2016/पार्ट/1516–30 दिनांक 25.04.2017 के क्लॉज–16 में धारा 90 बी (3) के अन्तर्गत आवेदित मामलों मे प्रतिवर्तन रिवर्सन बदलने बाबत अधिकार नियम 24 में परिवर्तित आबादी भूमि को पुनः कृषि भूमि दर्ज करने का क्षेत्राधिकार सम्बन्धित नगर पालिकाओं को दिया गया है तथा तहसीलदार नीमाकाथाना की रिपोर्ट क्रमांक 4064 दिनांक 25.10.16 से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी मौके पर खाली है तथा इसमें किसी प्रकार का निमार्ण कार्य तथा फसल नही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी/अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र रिव्यू एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र रिव्यू स्वीकार किया जाता है तथा न्यायालय हाजा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.09.2017 को प्रत्याहारित (Recall) किया जाता है तथा

P.T.O.

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.03.2010 व नामान्तरकरण संख्या 442 वाके ग्राम आगवाडी दिनांक 10.03. 2010 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण प्राधिकृत अधिकारी नीमकाथाना को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य सबूत, दस्तावेजात प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।